

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता(इतिहास) के कतिपय प्रकरणों में दोहरा पदस्थापन प्रकरण, माननीय न्यायालय के अध्ययधीन प्रकरणों की पालना में व अन्य प्रशासनिक कारणों से कार्मिकों का पदस्थापन नहीं होने के कारण दिनांक 27.06.2018 को निदेशालय में कांउसलिंग रखी जाकर पदस्थापन/संशोधन एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं।

क्रम	नाम	विषय	कहाँ से (राउमावि/राबाउमावि)	कहाँ को (राउमावि/राबाउमावि)
1	गीता गग	इतिहास	बा अन्तरी देवी-बाडमेर	बा अन्तरी देवी-बाडमेर यथावत
2	अलका चौधरी	इतिहास	बा.अन्तरी देवी बाडमेर से	स्टेशन रोड-बाडमेर
3	धर्मराम	इतिहास	स्टेशन रोड-बाडमेर से बलाउ स्थानान्तरणाधीन	कगाउ-बाडमेर
4	राजेश कुमार	इतिहास	भंगो-करौली	बझेड़ा-हि.सिटी- करौली
5	शिव्वीराम	इतिहास	भंगो-करौली	भंगो-करौली यथावत
6	रामेश्वर प्रसाद मीना	इतिहास	विछोछ- बामनवास -सवाईमाधोपुर	बा पट्टीकला- बामनवास- स.माधोपुर
7	चरतलाल मीना	इतिहास	विछोछ, बामनवास -सवाईमाधोपुर	विछोछ, बामनवास- स. माधोपुर यथावत
8	चन्द्रप्रकाश गुप्ता	इतिहास	जसोल-बाडमेर	बालोतरा-बाडमेर
9	चन्दनसिंह चान्देसरा	इतिहास	जसोल-बाडमेर	जसोल-बाडमेर यथावत
10	विमला मीणा	इतिहास	श्री केशरियाजी ऋषभदेव -उदयपुर से चणावदा- उदयपुर स्थानान्तरणाधीन	पीपली-अ-ऋषभदेव- उदयपुर
11	जेठमल सिंह	इतिहास	नाचना-जैसलमेर	नाचना-जैसलमेर यथावत
12	जीतमल सोनी	इतिहास	पांचे का तला- जैसलमेर से नाचना-जैसलमेर स्थानान्तरणाधीन	पांचे का तला- जैसलमेर

जिन प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर व माननीय ट्रिव्यूनल से स्थगन प्राप्त है उनके स्थानान्तरण/पदस्थापन माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर व माननीय ट्रिव्यूनल के निर्णय के अध्ययधीन रहेंगे। क्रम संख्या 03 पर अंकित कार्मिक के अतिरिक्त कार्मिकों को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं होगा। उक्त कार्मिक नवपदस्थापन स्थान पर दिनांक 10.07.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करावें। संवंधित तत्काल पालना करावें।

(निथमल डिल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 31/7/18

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/रथा.-पदस्थापन/2018
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 2 उप शासन सचिव-प्रथम शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

- 3 सम्बन्धित उप निदेशक—माध्यमिक शिक्षा
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी—माध्यमिक शिक्षा— ।/॥
- 5 सिरटम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 6 संबंधित शाला/संरक्षा प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवायें।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक
- 8 निजी/रक्षित पत्रावली

३०८/३/१८

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर